न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

अपील सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
6/21	1.10.21	20.10.21

उनवान

1. सुनीता पत्नि श्री अजीतसिंह जाति जाट निवासी ग्राम छतरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर अपीलान्टा

बनाम

1.ग्राम पंचायत झिरण्डिया पं0सं0 किशनगढबास जरिये सरपंच ग्रम पंचायत झिरण्डियां तह0 किशनगढबास रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व ग्राम पंचायत

:– निर्णयः–

अपील के सुक्ष्म बिन्दु निम्नप्रकार से हैः–

नामांतकरण सं0 1235 दिनांक 05.08.2021 राजस्व ग्राम झिरण्डिया का है आराजी ख0न0 79/0.09 चाही में से 1/3 भाग 05/0.22 हे0 वाके ग्राम झिरण्डिया तह0 किशनगढबास को जरिये रजि0 बयनाम कमाक 520 दिनांक 08-7-2021 को विकता बाबूलाल पुत्र श्री मनोहरलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी पुरानी अनाज मण्डी खैरथल वार्ड नं011 से विधिवत प्रतिफल राशि अदाकर बयनाम उपपंजीयक किशनगढबास से तस्दीक कराकर कब्जा आराजी पर उसी रोज प्राप्त कर लिया था।जिस रजिस्टर्ड बयनामा में मिन अपीलांट की जाति जाट दर्ज है बाद पंजीयन मूल बयनामा हल्का पटवारी गंज का वास्तें दर्ज नामांतकरण सोंप दिया था किन्तु नामान्तकरण दर्ज करते समय भूलवश अथवा जानबूझकर हल्का पटवारी ने अपीलांन्ट की जाति जाट के स्थान पर जाति अहीर दर्ज करते हुए दिनांक 05.8.2021 को रेस्पोडेंट ग्राम पंचायत झिरण्डिया से बिना अपीलान्ट की उपस्थिती के स्वीकार करा दिया एवं नामान्तकरण संख्या 1233 के आधार पर चौसाला जामाबन्दी कायम कर दी गई। जबकी हल्का पटवारी द्वारा दर्ज करने नामांतकरण मिल अपीलान्ट को नही भूलाया, उसी कदर ग्राम पंचायत झिरण्डिया द्वारा नामांतकरण स्वीकृत करते वक्त ना तो दस्तावेज बयनामा को पढा , ना ही अपीलान्टा का सूचित कर बुलाया, बल्की बयनामा मे जाट अंकित होते हुए भी जाति अहीर के नाम का नामातकरण स्वीकृत कर दिया, जिसका ज्ञान अपीलान्टा को दिनांक 26.8.21 को नकल जमाबन्दी ई मित्र से प्राप्त करने पर हुआ। तत्पश्चात अपीलान्ट के परिवारजन ने इसे शुद्व कराने हेतु हल्का पटवारी गिरदावर, कानूनगो से सम्पर्क किया उन्होने नकल इन्तकाल की प्रमाणित कापी देते हुए कहा कि सक्षम अदालत में कार्यवाही करो, इसलिए बिनादेरी अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है।बयनामा की प्रमाणितप्रति संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय ग्राम पंचायत झिरण्डिया दिनांक 05.08.21 बाबत इन्तकाल 1235 मन्सूख फरमाया जावे एवं अपीलान्ट के हक में बयनाम रजिस्ट्रार के आधार पर नामांन्तकरण स्वीकार कराने की आज्ञा पारित की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा तहसीलदार किशनगढबास से बाबत इन्तकाल रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार किशनगढबास ने अपील स्वीकार करते हुए दस्तावेजानुसार जाति अहीर की जगह जाट अंकित कर दिया जावे रिपोर्ट पेश की।

हमने प्रार्थीया/अपीलान्टा को सुना प्रार्थना पत्र/अपील का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार किशनगढबास की रिपोर्ट एवं बयनामा दस्तावेज से साबित है कि ग्राम पंचायत झिरण्डिया के नामांतकरण सं0 1235 दिनांक 05.08.2021 में अपीलान्टा की जाति **जाट** की जगह **अहीर** दर्ज कर दिया जिसे खारिज किया जाकर पुनः बयनामा रजिस्ट्री के आधार पर नामांतकरण दर्ज वो स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा ग्राम पंचायत झिरण्डिया द्वारा स्वीकृत नामांतकरण कंमाक 1235 दिनांक 0.5.8.2021 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक बयनामा दिनांक 8.7.21 के अनुसार इंतकाल दर्ज वो स्वीकार किया जावे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner